प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठ

कोरम: **माननीय श्री टी. पी. शर्मा एवं**
माननीय श्री आर. एल. झंवर, न्यायमूर्तिगण

दांडिक अपील क्रमांक 356 / 1989

सिद्धनाथ
बनाम
मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़)

एवं

दांडिक अपील क्रमांक 913 / 1989

मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़)
बनाम
सिद्धनाथ

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विचार हेतु:

हस्ताक्षर/-
टी. पी. शर्मा
न्यायमूर्ति
29-11-2009

माननीय श्री न्यायमूर्ति आर. एल. झंवर:

हस्ताक्षर/-
आर. एल. झंवर
न्यायमूर्ति

निर्णय सुनाए जाने हेतु दिनांक 30 नवम्बर, 2009:

हस्ताक्षर/-
टी. पी. शर्मा
न्यायमूर्ति

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठ

कोरम: **माननीय श्री टी. पी. शर्मा एवं**
माननीय श्री आर. एल. झंवर, न्यायमूर्तिगण

दांडिक अपील क्रमांक 356 / 1989

अपीलार्थी/(अभियुक्त): सिद्धनाथ, आयु 45 वर्ष, पिता राजमन गोंड, कृषक, निवासी ग्राम भंडरदेही, थाना चिरमिरी, तहसील मनेंद्रगढ़, जिला सरगुजा (मध्य प्रदेश) (अब छत्तीसगढ़)।

बनाम

प्रत्यर्थी: मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़)

(दांडिक अपील अंतर्गत धारा 374(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973)

उपस्थित:
श्री ए. के. प्रसाद, अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी।
श्री आशीष शुक्ला, शासकीय अधिवक्ता वास्ते शासन/प्रत्यर्थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एवं

दांडिक अपील क्रमांक 913 / 1989

आवेदक/(अपीलार्थी): मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़)

बनाम

अनावेदक/(प्रत्यर्थी)/(अभियुक्त): सिद्धनाथ, पिता राजमन, आयु 45 वर्ष, व्यवसाय कृषि एवं मजदूरी, निवासी भंडादेही, थाना चिरमिरी, तहसील मनेंद्रगढ़, जिला सरगुजा।

(दोषमुक्ति अपील अंतर्गत धारा 378(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973)

उपस्थित:
श्री आशीष शुक्ला, शासकीय अधिवक्ता वास्ते शासन/अपीलार्थी।
प्रत्यर्थी/अभियुक्त की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

निर्णय

(30 नवम्बर, 2009 को पारित)

निम्नलिखित न्यायालयीन निर्णय माननीय श्री टी. पी. शर्मा, न्यायमूर्ति द्वारा पारित किया गया है: –

1. चूँकि पूर्वोक्त दोनो दांडिक अपीलें समान दोषसिद्धि के निर्णय तथा 13-03-1989 के दंडादेश से उत्पन्न हुई हैं, जो अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मनेन्द्रगढ़ द्वारा सत्र प्र.क्रं. 41/87 में पारित किया गया था, अतः उन्हें इस एक ही निर्णय द्वारा निराकृत किया जा रहा है।

2. दां.अ.क्रं.356/89 में अपीलार्थी सिद्धनाथ ने 13-03-1989 के दोषसिद्धि तथा दंडादेश की वैधता एवं औचित्य को चुनौती दी है, जो अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मनेन्द्रगढ़ द्वारा सत्र प्र.क्र.41/87 में पारित किया गया था तथा दां.अ.क्रं.913/89 में राज्य ने अभियुक्त सिद्धनाथ की दोषसिद्धि एवं दंडादेश को अपर्याप्त बताते हुए धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत उसकी दोषसिद्धि एवं उचित दंड की प्रार्थना की है।

3. विचाराधीन निर्णय द्वारा, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त सिद्धनाथ को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग-II के अंतर्गत अपराध का दोषी पाया तथा उसे पाँच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

4. अभियोजन के प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 03-11-1986 को अभियुक्त सिद्धनाथ ने तिलकधारी (जो मृतक है) तथा उसके परिवार को अपने घर बुलाया, किन्तु वे वहाँ नहीं गए। दिनांक 04-11-1986 को लगभग शाम 7 बजे हिरोंडिया बाई (अ.सा.-4) अपने खलिहान में उपस्थित थी, उसी समय अभियुक्त सिद्धनाथ वहाँ पहुँचा, मातुकधारी (अ.सा.-1) तथा तिलकधारी भी उक्त खलिहान में पहुँचे और कुछ कहासुनी के उपरांत अभियुक्त सिद्धनाथ ने तिलकधारी की छाती पर भाले से प्रहार कर चोट पहुँचाई तथा तिलकधारी को तत्काल अस्पताल ले जाया गया। तिलकधारी का मृत्यु-पूर्व कथन प्रदर्श.पी-9 के अंतर्गत दर्ज किया गया। उसका परीक्षण डॉ. आर.आर. गजभिये (अ.सा.-6) द्वारा प्रदर्श.पी-16A में किया गया। उपचार के दौरान तिलकधारी की मृत्यु हो गई। मृतक की मृत्यु की सूचना डॉक्टर द्वारा पुलिस को प्रदर्श.पी-14 के अंतर्गत दी गई तथा मर्ग रिपोर्ट प्रदर्श.पी-20 में दर्ज की गई। रोजनामचा प्रदर्श.पी-24 में दर्ज किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श.पी-19 के अंतर्गत दर्ज की गई। गवाहों को प्रदर्श.पी-11 के अंतर्गत बुलाकर मृतक तिलकधारी के शव का पंचनामा प्रदर्श.पी-12 के अंतर्गत तैयार किया गया और शव को शव-परीक्षण हेतु सरकारी अस्पताल चिरमिरी भेजा गया, जिसे प्रदर्श.पी-15 के अंतर्गत दर्शाया गया। शव-परीक्षण डॉ. आर.आर. गजभिये (अ.सा.-6) द्वारा कराया गया, जिन्होंने छाती के 6वें इंटरकोस्टल स्थान पर 2" × ½" × 2½" का छिद्रयुक्त घाव पाया तथा प्लूरा भी छिद्रित पाया। मृत्यु का कारण श्वसन विफलता बताया गया। घाव मृत्यु से पूर्व के थे। अन्य दो अभियुक्त सुमेर सिंह एवं मंकुंवर को भी सह-अभियुक्त बनाया गया। सह-अभियुक्त सुमेर सिंह ने भाले के लोहे के हिस्से से संबंधित बयान प्रदर्श.पी-2 के अंतर्गत दिया और उसी स्थान से प्रदर्श.पी-3 के अंतर्गत बरामदगी की गई। रक्त से सने वस्त्र सह-अभियुक्त सुमेर सिंह से प्रदर्श.पी-4 के अंतर्गत बरामद किए गए। अन्य वस्त्र भी प्रदर्श.पी-6 के अंतर्गत बरामद किए गए। गवाहों के बयान धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दर्ज किए गए। जब्त किए गए पदार्थों की रासायनिक जाँच प्रदर्श.पी-21 के अंतर्गत कराई गई तथा भाले पर रक्त की उपस्थिति प्रदर्श.पी-22 के अंतर्गत प्रमाणित की गई। जाँच पूर्ण होने के पश्चात आरोपपत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनेन्द्रगढ़ के समक्ष दाखिल किया गया, जिन्होंने प्रकरण सत्र न्यायालय, अंबिकापुर को प्रेषित किया, जहाँ से अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मनेन्द्रगढ़ ने परीक्षण हेतु प्रकरण स्वीकार किया।

5. अभियुक्तों का अपराध सिद्ध करने हेतु अभियोजन ने कुल आठ गवाहों का परीक्षण कराया। अभियुक्तों का धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत परीक्षण हुआ, जिसमें उन्होंने अपने विरुद्ध उपस्थित परिस्थितियों से इनकार किया तथा निर्दोषता एवं झूठे फँसाए जाने का दावा किया। बचाव

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

पक्ष ने भी अमोल सिंह (बचाव.सा.-1) का परीक्षण कराया, जिन्होंने कहा कि तिलकधारी की पत्नी रो रही थी तथा पूछे जाने पर तिलकधारी के पिता ने बताया कि उसका दूसरा पुत्र मातुकधारी ने तिलकधारी की हत्या कर दी है, अतः वह कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करेगा।

6. साक्ष्यों के समुचित मूल्यांकन करने के पश्चात, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त को दोषसिद्ध कर पूर्वोक्त अनुसार दंडित किया।

7. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा विचारण न्यायालय के निर्णय एवं अभिलेखों का अवलोकन किया।

8. दां.अ.क्रं.356/89 में अभियुक्त सिद्धनाथ की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री ए.के. प्रसाद ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्त ने उस पर आरोपित दंड भुगत लिया है और उसे मुक्त कर दिया गया है। उन्होंने आगे यह भी तर्क दिया कि अभियोजन अपने प्रकरण को सभी युक्तिसंगत संदेह से परे सिद्ध नहीं कर सका और अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य धारा 304 भाग-II, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोष सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने **लक्ष्मीनाथ बनाम छत्तीसगढ़ राज्य**[1] के प्रकरण का अवलंब लिया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि दंड संहिता गैर-इरादतन हत्या के तीन स्तरों – गंभीर, मध्यम अथवा न्यूनतम को मान्यता देती है। मृत्यु की संभावना का स्तर ही यह निर्धारित करता है कि गैर-इरादतन हत्या गंभीर, मध्यम या न्यूनतम स्तर की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. दूसरी ओर, शासन की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री आशिष शुक्ला ने जोर देकर तर्क दिया कि घटना के समय अभियुक्त सिद्धनाथ के पास भाला था, वह यह कहते हुए उस हथियार के साथ वहाँ पहुँचा कि तिलकधारी ने आमंत्रण के बावजूद समारोह में भाग नहीं लिया और कहासुनी के बाद उसने छाती के महत्वपूर्ण हिस्से पर भाले से चोट पहुँचाई, जिससे हत्या का गंभीर आशय प्रकट होता है। उन्होंने कहा कि यह कृत्य हत्या के समान गंभीर है, किंतु विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग-II के अंतर्गत दोषी ठहराया। राज्य पक्ष के अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि अभियुक्त का यह कृत्य हत्या के समकक्ष है और भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय है। उन्होंने **मनुभाई अटाभाई बनाम गुजरात**[2] राज्य के प्रकरण का अवलंब लिया जिसमे सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि अपराध का आशय किस प्रकार का था, इसका निर्धारण प्रयोग किए गए हथियार की प्रकृति, जिस भाग पर चोट पहुँची, प्रयुक्त बल की मात्रा तथा मृत्यु से संबंधित परिस्थितियों से किया जाना चाहिए। यहाँ तक कि एक ही प्रहार के प्रकरण में भी अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोषी ठहराया जा सकता है।

10. पक्षकारों के तर्कों की सराहना करने के लिए, हमने दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों की जाँच की है। मृतक की हत्या, जो उपपूर्व (Ante-mortem) चोटों के परिणामस्वरूप हुई है, इस तथ्य पर अभियुक्त पक्ष द्वारा कोई ठोस विवाद नहीं किया गया है। दूसरी ओर, डॉ. आर.आर. गजभिये (अ.सा.-6) के साक्ष्य से यह स्थापित होता है, जिन्होंने अपने साक्ष्य में कहा है कि दिनांक 05-11-86 को उन्होंने मृतक तिलकधारी की चोटों का परीक्षण (प्रदर्श पी-16ए) किया और पाया कि उसके शरीर पर 2” x ½” x 2 ½” आकार की अंतरपसली (inter-coastal space) में भाले की चोट थी, जो घातक थी और उक्त चोट के कारण उसकी मृत्यु हुई। उन्होंने शव-परीक्षण (autopsy) भी किया और पाया कि प्लूरा (plura) फट गई थी, जो मृत्यु का पर्याप्त कारण है। शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-15ए है।

---

[1] ए.आई.आर. 2009 एससी 1383

[2] (2007) 10 एससीसी 358

11. अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता स्थापित करने हेतु, अभियोजन ने प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के साक्ष्य प्रस्तुत किए तथा मृतक के मृत्युकालिक कथन पर भरोसा किया।

12. मतुखधारी (अ.सा.-1), जो मृतक का भाई है, ने यह साक्ष्य दिया कि घटना वाले दिन अभियुक्त अन्य दो सह-अभियुक्तों के साथ आया। मृतक की माँ उस समय खलिहान में उपस्थित थीं, जिन्हें भी वे गाली-गलौज कर रहे थे। उसी समय मृतक तिलकधारी और मतुखधारी (अ.सा.-1) भी खलिहान पर पहुँच गए। सह-अभियुक्त मनकुनवर के हाथ में भाला था जबकि अभियुक्त सिद्धनाथ और सह-अभियुक्त सुमेर सिंह के पास कोई हथियार नहीं था। सह-अभियुक्त मनकुनवर ने भाला सिद्धनाथ को दिया, जिस पर सिद्धनाथ ने तत्काल तिलकधारी के सीने पर प्रहार किया और भाला निकाल लिया। तिलकधारी वहीं गिर पड़ा। तत्पश्चात् सिद्धनाथ ने भाला सुमेर सिंह को दे दिया और सभी अभियुक्तगण घटनास्थल से फरार हो गए।

13. हिरोंडिया बाई (अ.सा.-4), जो मृतक की माँ हैं, ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कहा कि अभियुक्तगण खलिहान पर आए जहाँ वह उपस्थित थीं और उन्होंने उसके साथ गाली-गलौज की। उन्होंने मतुखधारी (अ.सा.-1) के साक्ष्य की विस्तार से पुष्टि की है।

14. बचाव-पक्ष ने मतुखधारी (अ.सा.-1), जो मृतक का भाई है, तथा हिरोंडिया बाई (अ.सा.-4), जो मृतक की माता हैं, का विस्तार से प्रतिपरीक्षण किया है, किंतु उनके प्रतिपरीक्षण में ऐसा कुछ नहीं निकाला जा सका जिससे उनके साक्ष्यों को अविश्वसनीय सिद्ध किया जा सके। इन दोनों गवाहों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि तीनों अभियुक्त खलिहान पर आए जहाँ हिरोंडिया बाई (अ.सा.-4) उपस्थित थीं, अभियुक्तगण ने उन्हें इसलिए गाली-गलौज की कि उन्होंने समारोह में भाग नहीं लिया था। अभियुक्त सिद्धनाथ और उसका भाई सुमेर सिंह किसी हथियार से लैस नहीं थे, जबकि सह-अभियुक्त मनकुनवर, जो सुमेर सिंह की पत्नी है, भाला पकड़े हुए थी। उसी समय मतुखधारी (अ.सा.-1) और मृतक तिलकधारी उक्त खलिहान पर पहुँचे और अभियुक्तों का विरोध किया कि वे गाली-गलौज एवं अशोभनीय भाषा का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। इस बहस के दौरान सहसा सह-अभियुक्त मनकुनवर ने भाला सिद्धनाथ को दे दिया और सिद्धनाथ ने तत्काल मृतक के सीने पर भाले से प्रहार किया, भाला निकाल लिया और घटनास्थल से फरार हो गया। उक्त चोट से मृतक की मृत्यु हो गई, जो अभियुक्त सिद्धनाथ द्वारा दी गई थी।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

15. मतुखधारी (अ.सा.-1) एवं हिरोंडिया बाई (अ.सा.-4) मृतक के निकट संबंधी हैं। मतुखधारी (अ.सा.-1) उसका भाई है और हिरोंडिया बाई (अ.सा.-4) उसकी माता है। परंतु केवल इस आधार पर उनके साक्ष्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि वे मृतक के निकट संबंधी हैं और अभियुक्त को दोषसिद्ध करने में रुचि रखते हैं। निकट संबंधी ऐसे व्यक्ति होते हैं जो वास्तविक अपराधी को बचाने और किसी निर्दोष को फँसाने का प्रयास नहीं करते।

16. सापेक्ष गवाहों के साक्ष्यात्मक मूल्य के प्रश्न से निपटते हुए, उच्चतम न्यायालय ने **दलीपसिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य**[3] के प्रकरण में यह माना है कि सामान्यतः किसी गवाह को स्वतंत्र माना जाएगा जब तक कि वह ऐसे स्रोतों से न हो जो दूषित होने की संभावना रखते हों। उक्त निर्णय के पैरा 26 में निम्नलिखित कहा गया है:–

[3] ए.आई.आर.1953 एससी 364

"26. सामान्यतः किसी गवाह को स्वतंत्र माना जाता है जब तक कि वह ऐसे स्रोतों से उत्पन्न न हो जो दूषित होने की संभावना रखते हों और इसका सामान्य अर्थ यह होता है कि जब तक गवाह के पास अभियुक्त के प्रति शत्रुता जैसी कोई वजह न हो, तब तक वह उसे झूठा फँसाने की इच्छा नहीं रखता। सामान्यतः, निकट संबंधी ही वह अंतिम व्यक्ति होगा जो वास्तविक अपराधी को छिपाए और किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठा फँसाए। यह सत्य है कि जब भावनाएँ तीव्र होती हैं और शत्रुता का व्यक्तिगत कारण होता है तो निर्दोष व्यक्ति, जिसके प्रति गवाह को कोई दुर्भावना हो, उसे दोषी के साथ घसीटने की प्रवृत्ति होती है; किन्तु ऐसी आलोचना का आधार होना आवश्यक है और केवल संबंध का तथ्य आलोचना का आधार नहीं हो सकता, बल्कि अक्सर यह सत्य की गारंटी होता है। तथापि, हम कोई व्यापक सामान्यीकरण नहीं कर रहे हैं। प्रत्येक प्रकरण का निर्णय उसके अपने तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। हमारे ये अवलोकन केवल उस धारणा को दूर करने के लिए हैं जो अक्सर हमारे समक्ष सामान्य विवेक के नियम के रूप में प्रस्तुत की जाती है। ऐसा कोई सामान्य नियम नहीं है। प्रत्येक प्रकरण अपने तथ्यों तक सीमित होना चाहिए और उन्हीं तथ्यों द्वारा नियंत्रित होना चाहिए।"

17. इसी प्रश्न से निपटते हुए, उच्चतम न्यायालय ने **अशोक कुमार चौधरी एवं अन्य बनाम बिहार राज्य**[4] के प्रकरण में यह माना है कि,

"...यह त्रुटिपूर्ण होगा कि इसे एक सार्वभौमिक नियम के रूप में स्थापित कर दिया जाए कि किसी सार्वजनिक गवाह का परीक्षण न होना अपने आप में ही प्रतिकूल अनुमान को जन्म देता है, अभियोजन के विरुद्ध अथवा यह कि पीड़ित के संबंधी की गवाही, जो अन्यथा विश्वसनीय है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे सार्वजनिक गवाहों द्वारा पुष्ट न किया जाए। जहाँ तक पीड़ित के संबंधियों के साक्ष्य की विश्वसनीयता का प्रश्न है, यह सुव्यवस्थित है कि न्यायालय को ऐसे साक्ष्य का अधिक सावधानी और सतर्कता से परीक्षण करना चाहिए, किन्तु केवल अभियोजन में उनकी रुचि के आधार पर ऐसे साक्ष्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। संबंध स्वयं में गवाह की विश्वसनीयता को प्रभावित नहीं करता। मात्र इस कारण कि गवाह पीड़ित का संबंधी है, उसे हितबद्ध गवाह नहीं कहा जा सकता। यह सर्वविदित है कि हितबद्ध शब्द का आशय यह है कि संबंधित व्यक्ति का कुछ प्रत्यक्ष या परोक्ष हित इस बात में हो कि अभियुक्त किसी प्रकार से दोषी ठहराया जाए, चाहे इसलिए कि उसके अभियुक्त से कुछ शत्रुता थी या किसी अन्य गुप्त उद्देश्य से।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. इसी प्रश्न से निपटते हुए, उच्चतम न्यायालय ने **हरि बनाम महाराष्ट्र राज्य**[5] के प्रकरण में यह माना है कि मात्र संबंध होने के आधार पर मृतक के संबंधियों की प्रत्यक्षदर्शी गवाही को अविश्वसनीय नहीं ठहराया जा सकता, विशेषकर तब जब मृतक की हत्या उसके चचेरे भाई द्वारा की गई हो। उक्त निर्णय के पैरा 21, 22 एवं 23 में निम्नलिखित कहा गया है:

"21. यह सत्य हो सकता है कि सभी महत्वपूर्ण गवाह, अर्थात अ.सा.-1, 2 और 8, मृतक के संबंधी हैं, किन्तु मात्र इस आधार पर उनकी गवाही को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। यह रिश्तेदारों के बीच का विवाद है और अभिलेखों पर यह तथ्य आया है कि

[4] 2008 ए.आई.आर. एससीडब्लू 3739
[5] 2009 ए.आई.आर. एससीडब्लू 2250

अपीलार्थी मृतक का चचेरा भाई है। ऐसी स्थिति में संबंधी ही सर्वाधिक उपयुक्त गवाह होने की संभावना रखते हैं।

22. बार में कुछ निर्णयों का उल्लेख किया गया है जिनका विचार और स्पष्टीकरण आवश्यक है। मृतक के संबंधियों की गवाही के मूल्यांकन के विषय में, अपीलार्थी के अधिवक्ता ने इस न्यायालय के *अवतार सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2006) 12 एससीसी 524* के निर्णय का अवलंब लिया है। उस प्रकरण में परिस्थितियाँ बिल्कुल भिन्न थीं और वहाँ माननीय न्यायाधीशों ने उस प्रकरण के विशिष्ट तथ्यों में यह माना कि विरोधी गुटों के बीच शत्रुता और कटुता संदेह से परे स्थापित थी। उस प्रकरण में घटना के संबंध में पुलिस को कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई थी और इस न्यायालय ने साक्ष्यों का अवलोकन कर यह अभिमत दिया कि रिपोर्ट दर्ज कराने का पूर्ववृत्त असत्य था। उस प्रकरण में नम्बदार और चौकीदार, जिनके अ.सा.-1 के साथ थाने जाने का आरोप था, का परीक्षण नहीं किया गया और अ.सा.-6 स्टेशन हाउस ऑफिसर ने भी यह स्पष्ट रूप से नकार दिया कि 4.12.1989 से पूर्व किसी ने घटना की सूचना दी थी। इस न्यायालय ने पाया कि उच्च न्यायालय ने तथ्यों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और इन परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में यह माना कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत अत्यधिक पक्षपातपूर्ण साक्ष्य के मूल्यांकन में उच्च न्यायालय द्वारा उचित सतर्कता का पालन नहीं किया गया।

23. किन्तु वर्तमान प्रकरण में परिस्थितिजन्य परिदृश्य पूर्णतः भिन्न है। यहाँ घटना घर के भीतर निकट संबंधियों की उपस्थिति में घटी और ऐसी स्थिति में केवल संबंधी ही गवाह हो सकते थे। निश्चय ही, वर्तमान प्रकरण में भूमि विवाद के कारण कुछ शत्रुता भी थी, किन्तु मात्र इस आधार पर संबंधियों की गवाही को अस्वीकार करने का कारण नहीं हो सकता, जब उनकी गवाही प्रबल और विश्वसनीय हो। तथ्यात्मक रूप से, इस न्यायालय का *अवतार सिंह (पूर्वोक्त)* का निर्णय पूर्णतः भिन्न आधार पर खड़ा है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. आगे, **मोहब्बत एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य**[6] के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने यह माना है कि संबंध मात्र इस आधार पर गवाह की विश्वसनीयता को प्रभावित करने का कारण नहीं हो सकता। यदि झूठा फँसाने से सम्बंधित तर्क दिया गया है तो उसका आधार प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। उक्त निर्णय के पैरा 7 में निम्नलिखित कहा गया है:

"7. केवल इस कारण से कि प्रत्यक्षदर्शी गवाह मृतक के परिवारजन हैं, उनकी गवाही को स्वतः अस्वीकार नहीं किया जा सकता। जब हितबद्धता का आरोप लगाया जाता है, तो उसे सिद्ध करना आवश्यक है। मात्र यह कहना कि मृतक के संबंधी होने के कारण वे संभवतः अभियुक्त को झूठा फँसा सकते हैं, उस साक्ष्य को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता, जो अन्यथा ठोस और विश्वसनीय है। हम गवाहों की हितबद्धता संबंधी उस दलील से भी निपटेंगे, जो अभियोजन के कथन को आगे बढ़ाने के लिए की जाती है। संबंध स्वयं में गवाह की विश्वसनीयता को प्रभावित करने का कारक नहीं है। प्रायः ऐसा होता है कि कोई संबंधी वास्तविक अपराधी को नहीं छुपाता और न ही किसी

[6] 2009 ए.आई.आर. एससीडब्लू 1486

निर्दोष व्यक्ति पर झूठे आरोप लगाता है। यदि झूठा फँसाने की दलील दी जाती है तो उसका ठोस आधार प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। ऐसे मामलों में न्यायालय को सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण अपनाना पड़ता है और साक्ष्यों का विश्लेषण करना होता है ताकि यह पता चल सके कि वे ठोस और विश्वसनीय हैं अथवा नहीं।"

20. वर्तमान प्रकरण में, मतुखधारी (अ.सा.-1) एवं हिरोंडिया बाई (अ.सा.-4) के साक्ष्य स्वाभाविक हैं तथा उनकी उपस्थिति पर संदेह नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपने कथनों को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत नहीं किया है और स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि सर्वप्रथम हिरोंडिया बाई खलिहान पर उपस्थित थी, तत्पश्चात मृतक तिलखधारी एवं उसका भाई मतुखधारी खलिहान पर पहुँचे।

21. अमोल सिंह (बचाव सा.-1) ने यह कहा है कि जब वह रात्रि 3:30 बजे अपने घर के सामने से गुजर रहा था, तब तिलखधारी के पिता ने उसे बताया कि मतुखधारी ने तिलखधारी की हत्या कर दी है। अभियोजन के कथनानुसार घटना लगभग सायं 7 बजे हुई थी। बचाव पक्ष ने मतुखधारी (अ.सा.-1) एवं हिरोंडिया बाई (अ.सा.-4) से विस्तारपूर्वक प्रतिपरीक्षण की, किन्तु उन्होंने यह नहीं कहा कि घटना रात्रि लगभग 3:30 बजे हुई थी। किंतु दो वर्ष छह माह के पश्चात अचानक अमोल सिंह (बचाव सा.-1) ने यह बयान दिया कि रात्रि 3:30 बजे उसे पता चला कि मतुखधारी ने तिलखधारी की हत्या कर दी है। डॉ. आर.आर. गजभिए (अ.सा.-6) ने यह बयान दिया कि 5-11-86 को दोपहर 12 बजे तिलखधारी को उसके पास लाया गया था, उस समय तिलखधारी जीवित था तथा उसी दिन दोपहर 12:20 बजे उसकी मृत्यु हुई। यह तथ्य अमोल सिंह (बचाव सा.-1) के साक्ष्य को निरस्त करने के लिए पर्याप्त है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

22. मतुखधारी (अ.सा.-1) एवं हिरोंडिया बाई (अ.सा.-4), जो मृतक के परिजन हैं, का साक्ष्य विश्वास उत्पन्न करता है। उनका साक्ष्य विश्वसनीय एवं भरोसेमंद है। उनका साक्ष्य इस निष्कर्ष के लिए पर्याप्त है कि अभियुक्त ने मृतक का मानव वध (homicidal death) कारित किया है। मृतक का मानव वध कारित करने संबंधी परीक्षण न्यायालय का निष्कर्ष, अभियुक्त सिद्धनाथ के विरुद्ध विधि सम्मत एवं टिकाऊ है।

23. जहां तक अभियुक्त का आशय (intention) एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग-2 के अंतर्गत दोषसिद्धि की स्थिरता का प्रश्न है, यह निर्विवाद है कि तीन अभियुक्त व्यक्ति उस खलिहान पर गए जहाँ हिरोंडिया बाई (अ.सा.-4) उपस्थित थी। वे लोग हिरोंडिया बाई के प्रति अश्लील/अपमानजनक भाषा का प्रयोग कर रहे थे। अभियुक्त सिद्धनाथ के पास कोई हथियार नहीं था, परंतु सह-अभियुक्त मनकुनवर (सुमेर सिंह की पत्नी) के पास भाला था, जो इस अपराध का हथियार है। घटना के दौरान मृतक तिलखधारी एवं मतुखधारी (अ.सा.-1) भी खलिहान पर पहुँचे। वाद-विवाद के दौरान अचानक सह-अभियुक्त मनकुनवर ने भाला सिद्धनाथ को दे दिया और सिद्धनाथ ने तत्काल मृतक के वक्ष (छाती) पर घातक वार कर दिया। ये तथ्य इंगित करते हैं कि मूलतः सभी अभियुक्तगण खलिहान पर हिरोंडिया बाई एवं उसके परिवार के कृत्य की निंदा करने हेतु गए थे, किन्तु वाद-विवाद के दौरान जब मृतक तिलखधारी एवं उसका भाई मतुखधारी (अ.सा.-1) खलिहान पर पहुँचे, तभी अचानक सह-अभियुक्त मनकुनवर ने भाला सिद्धनाथ को दिया और सिद्धनाथ ने तत्काल मृतक पर प्राणघातक चोट पहुँचाई। यह स्पष्ट करता है कि अभियुक्तगण प्रारंभ में तिलखधारी को कोई चोट पहुँचाने के उद्देश्य से खलिहान नहीं गए थे, क्योंकि तिलखधारी उस समय खलिहान पर उपस्थित भी नहीं था, परंतु जैसे ही तिलखधारी वहाँ पहुँचा, अचानक सिद्धनाथ ने उसके शरीर पर चोट पहुँचाई।

24. **मनुभाई (पूर्वोक्त)** के प्रकरण में, जब आशय (intention) के प्रश्न पर विचार किया गया, तब उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय के पैरा 8 में यह प्रतिपादित किया कि –

> "**8.** आशय की प्रकृति का आकलन इस आधार पर किया जाना चाहिए कि किस प्रकार का हथियार प्रयुक्त हुआ, शरीर के किस भाग पर प्रहार किया गया, कितनी शक्ति का प्रयोग हुआ तथा मृत्यु की परिस्थिति क्या थी। वर्तमान प्रकरण में अभियुक्त ने चाकू का प्रयोग किया था, जिसकी धार 6 इंच लंबी थी। चोट पेट के ठीक नीचे की गई थी, जिसने लिवर जैसे जीवन हेतु अति आवश्यक अंग को प्रभावित किया। चाकू शरीर में 6 से.मी. तक धँस गया था, जो स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि वार अत्यधिक बलपूर्वक किया गया था। इस चोट के परिणामस्वरूप मृतक का तत्काल निधन हो गया। यह भी स्वीकार किया गया कि मृतक तो केवल पक्षकारों को शांत करने का प्रयास कर रहा था और वह स्वयं उस शब्द-विनिमय (विवाद) में कोई भूमिका नहीं निभा रहा था, जो वहाँ हो रहा था।"

25. **मनुभाई (पूर्वोक्त)** के प्रकरण में, अभियुक्त खुला चाकू लेकर आया था और अन्य सह-अभियुक्त लोग कुल्हाड़ी एवं लोहे की पाइप जैसे खतरनाक हथियारों से लैस थे। अभियुक्त ने मृतक के वक्ष (छाती) पर चाकू से चोट पहुँचाई, जो 6 से.मी. गहरी थी और यकृत के ऊपर घाव पाया गया। मृतक का तत्काल वहीं निधन हो गया। मनुभाई (पूर्वोक्त) के तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त खुले चाकू और अन्य खतरनाक हथियारों के साथ आया था तथा उसी के परिणामस्वरूप मृतक की तत्काल मृत्यु हुई। किन्तु वर्तमान प्रकरण में अभियुक्त के पास प्रारंभ में कोई हथियार नहीं था और मृतक भी प्रारंभ में खलिहान पर उपस्थित नहीं था। तथापि, वाद-विवाद के दौरान मृतक अपने भाई के साथ खलिहान पर पहुँचा और अचानक सह-अभियुक्त, जिसके पास भाला था, ने वह भाला सिद्धनाथ को दे दिया और सिद्धनाथ ने तत्काल मृतक को चोट पहुँचाई। इस प्रकार मनुभाई (पूर्वोक्त) का प्रकरण तथ्यों की दृष्टि से वर्तमान प्रकरण से भिन्न है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

26. **लक्ष्मीनाथ (पूर्वोक्त)** के प्रकरण में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि यदि अभियुक्त द्वारा तीर मारने से हुई एकमात्र चोट से मृत्यु हो जाती है तो अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग–I के अंतर्गत दोषसिद्ध किया जा सकता है। लक्ष्मीनाथ के प्रकरण में अभियुक्त धनुष-बाण लेकर आया और मृतक पर बाण चलाया तथा घायल पर भी बाण चलाया। इससे यह स्पष्ट होता है कि मृतक की मृत्यु कारित करने का अभियुक्त का गंभीर आशय था। अभियुक्त हथियार लेकर आया था और उसने दो बार धनुष-बाण का प्रयोग किया। किंतु वर्तमान प्रकरण में अभियुक्त के पास कोई हथियार नहीं था और अचानक जब सह–अभियुक्त ने उसे हथियार दिया तो उसने मृतक पर एक ही प्रहार किया। अतः लक्ष्मीनाथ (पूर्वोक्त) का प्रकरण वर्तमान प्रकरण के तथ्यों से भिन्न है।

27. वर्तमान प्रकरण में, अभियुक्त ने मृतक के सीने पर भाले से चोट पहुँचाई, जब सह–अभियुक्त द्वारा उसे हथियार दिया गया और जब मृतक घटनास्थल पर आया। यह दर्शाता है कि चोट पहुँचाने के समय अभियुक्त को यह ज्ञान था कि ऐसी चोट मृत्यु कारित कर सकती है, किंतु उसने यह चोट मृत्यु कारित करने के आशय से नहीं पहुँचाई। अतः अभियुक्त का कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग–II से आगे नहीं जाती। अभियुक्त ने अपनी सजा भोग ली है और उसे रिहा कर दिया गया है।

28. प्रकरण की सूक्ष्म जाँच और तथ्यगत परिदृश्य पर विचार करते हुए, हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग–II के अंतर्गत उचित आधार पर दोषसिद्ध किया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा ऐसा कोई अवैध कार्य नहीं किया

गया है जिसमे हस्तक्षेप की आवश्यकता हो। परिणामस्वरूप, दोनों अपीलें (दांडिक अपील क्रमांक 356/1989 एवं 913/1989) खारिज किए जाने योग्य हैं और वे इस प्रकार खारिज की जाती हैं।

हस्ताक्षर/-
(टी. पी. शर्मा)
न्यायमूर्ति

हस्ताक्षर/-
(आर. एल. झंवर)
न्यायमूर्ति

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By ..... RANJAN GUPTA, ADVOCATE